UPSR010008032026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008**

जमानत आवेदन नं०-322/2026

गीता उम्र करीब 42 वर्ष पत्नी स्व0 जानकी प्रसाद,

साकिन–मधवापुर, थाना–सिरसिया, जनपद–श्रावस्ती।

.....आवेदिका/अभियुक्ता

प्रति

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0सं0–84/2026
धारा–80 (2), 85 बी0 एन0 एस0 व
धारा–3/4 डी0 पी0 एक्ट
थाना–सिरसिया, जनपद–श्रावस्ती

दिनांक 08.05.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदिका/अभियुक्ता **गीता** की ओर से अपराध संख्या 84/2026, धारा 80 (2), 85 बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः– वादी मुकदमा पवन कुमार ने प्रभारी निरीक्षक थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती को दिनांक 22.03.2026 को इस आशय की तहरीर दिया कि वादी अपनी पुत्री सीमा देवी की शादी लगभग 06 वर्ष पूर्व तुलसीराम पुत्र जानकी प्रसाद निवासी ग्राम मधवापुर थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के साथ किया था। उसने अपनी पुत्री की शादी में मोटरसाइकिल 21,000/–व सोने के जेवर आदि तथा घरेलू उपयोग हेतु सामान फर्नीचर आदि दिया था परन्तु उक्त सामान से उसका दामाद संतुष्ट नहीं था। तुलसीराम के फूफा ननकने पुत्र अज्ञात नि0 ग्रा0 भवानीडीह थाना हरैया जनपद बलरामपुर ने तुलसीराम को उकसाया और कहा कि अपनी पत्नी को मार दो वह उसकी दूसरी शादी करवा देंगे जिससे उसे पांच लाख रूपये व एक अपाची मोटरसाइकिल दिलायेंगे। इसी बात को लेकर तुलसीराम के द्वारा पांच लाख और अपाची मोटरसाइकिल की मांग की गयी जिसको लेकर उसने असमर्थता जतायी। आज दिनांक 22.3.2026 को उसके दामाद व ननकने (दामाद के

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.05.08 15:52:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

फूफा) के द्वारा कूटरचित ढंग से उसके पुत्री को तुलसीराम की मॉ गीता देवी पत्नी जानकी प्रसाद व गीता देवी की सास ने उसके पुत्री को मारकर फांसी पर लटका दिया। उसको सीताराम द्वारा सूचना दिया गया कि उसकी लड़की को सांप ने काट लिया है। वह जब अपनी पुत्री के घर 5.30 बजे शाम पहुॅचा तो देखा कि उसकी पुत्री मृत अवस्था में चारपाई पर लेटी है। उसके पुत्री का मोबाइल भी गायब है। अतः उक्त घटना की जांच कर उचित कार्यवाही करने की याचना की गयी।

उक्त तहरीर के आधार पर आवेदिका/अभियुक्ता एवं तीन अन्य के विरूद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 80 (2), 85 बी0एन0एस0 व धारा 3/4 डी0 पी0 एक्ट में पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना लम्बित है।

3– आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता एक सीधी साधी एक गरीब मजदूरी पेशा गृहणी महिला है। घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही घटना में लिप्त होना पाया गया है। घटना बेबुनियादी व फर्जी बनावटी है मात्र साजिश का नतीजा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित अन्तर्वस्तु अपने आप में स्वयं विरोधाभाषी है और भ्रामक है तथा काल्पनिक तथ्यों के आधार पर आवेदिका को अभियुक्ता बनाया है। आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4– वादी मुकदमा की ओर से आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्तगण ने यह दहेज हत्या काण्ड मुल्जिम ननके की साजिश से भारी रकम दूसरी जगह से पाने की लालच में उसकी पुत्री मृतका की हत्या करके घटना को अंजाम दिया है। घटना गम्भीर है। जमानत का कोई आधार नहीं बनता है। अभियुक्ता की जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदिका/अभियुक्ता मृतका की सास है। मृतका की मृत्यु आवेदिका/अभियुक्ता के घर में शादी के छः वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में हुई है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6– आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा वादी मुकदमा के विद्वान के तर्को को सुना।

7– अपराध सं0 84/2026, थाना सिरसिया से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया।

आवेदिका/अभियुक्ता मृतका की सास है। शव विच्छेदन आख्या में मृतका को लिगेचर मार्क के अतिरिक्त किसी अन्य चोट का आना दर्शित नहीं किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। सह अभियुक्ता जीवनमती की जमानत सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2026 को स्वीकार की गयी है। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक 27.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई अन्तिम राय प्रकट न करते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदिका/अभियुक्ता गीता का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता **गीता** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता है:–

(i)– यह कि आवेदिका/अभियुक्ता अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगी।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार की दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 08.05.2026